न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
71/2016/प्रा.पत्र/2016	09.11.2016	03.08.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .....प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री गिर्राज प्रसाद विजय पुत्र श्री कृष्णा गोपाल विजय जाति विजयवर्गीय निवासी पावर हाउस के पास जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक मैसर्स विजयवर्गीय किराणा स्टोर जयपुर रोड पावर हाउस के पास जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक
2–मैसर्स विजयवर्गीय किराणा स्टोर पावर हाउस के पास जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक
3–श्री महेश कुमार पुत्र श्री सुदर्शन कुमार निवासी कमल निवास पुराना बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला टोंक राज. प्रोपरायटर मैसर्स महेश कुमार यतीश कुमार खण्डेलवाल कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक राज.
4–मैसर्स महेश कुमार यतीश कुमार खण्डेलवाल कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक राज.
5–श्री नन्दराम कर्ण पुत्र श्री दूलीचन्द्र कर्ण निवासी ग्राम मून्डल्ला, दीगोंद कोटा राज. नॉमिनी मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मनेसर खेडी (बेनाडा रोड) तह. बस्सी जिला जयपुर
6–मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मनेसर खेडी (बेनाडा रोड) तह. बस्सी जिला जयपुर
..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: दिनांक 03.08.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.03.2016 को समय 03:00 पीएम पर मैसर्स विजयवर्गीय किराणा स्टोर पावर हाउस के पास जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री गिर्राज प्रसाद विजय पुत्र श्री कृष्णा गोपाल विजय मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गिर्राज प्रसाद विजय ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में लगभग 30 बोतल मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500 मिली पैक **सरसों तेल (अशोका लाईट ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री गिर्राज प्रसाद विजय को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री गिर्राज प्रसाद विजय व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सरसों तेल (अशोका लाईट ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 16 एवं पैकिंग की दिनांक अक्टूबर 2016 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500 मिली पैक के चार मूल पैक खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल (अशोका लाईट ब्राण्ड)** 500 मिली पैक के चार मूल पैक को एक–एक नग बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1295 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1295 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री गिर्राज प्रसाद विजय पुत्र श्री कृष्णा गोपाल विजय मैसर्स विजयवर्गीय किराणा स्टोर जयपुर रोड पावर हाउस के पास जयपुर रोड टोडारायसिंह ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स महेश कुमार यतीश कुमार खण्डेलवाल कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त सरसों तेल क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स महेश कुमार यतीश कुमार खण्डेलवाल कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक राज. को आवश्यक दस्तावेज हेतु पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रपत्र व बतौर वारन्टी मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मनेसर खेडी (बेनाडा रोड) तह. बस्सी जिला जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मनेसर खेडी (बेनाडा रोड) तह. बस्सी जिला जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रपत्र फार्म–बी व वैट रजि. फार्म नं. 3 एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र व नॉमिनी रजि. फार्म प्रेषित किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/1724 दिनांक 25.04.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./172/एक्ट /2016/221 दिनांक 12.04.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सरसों तेल (अशोका लाईट ब्राण्ड) मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 दिनांक 29.03.2019 को अंतिम बार न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कोई जवाब पेश नहीं किया और ना ही इसके बाद स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 3 व 4 को जरिये नोटिस तलब किए जाने पर नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ परन्तु वे भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से श्री मनमोहन शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा गया परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सरसों तेल (अशोका लाईट ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल (अशोका लाईट ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 75,000/–(अक्षरे पचहत्तर हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/–(अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 03.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0